न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोटा

पत्रावली संख्या : 4/2026 (अपील, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

उनवान

ईदूखान पुत्र कन्नू खान निवासी – प्लाट नं. 64 श्री कल्याण
विहार केनाल रोड बोरखेडा कोटा मोबाईल न. 9413394940

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी जिला कोटा

(प्रतिपक्षी)

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1)
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय दिनांकः 20/2/26

1– अपीलार्थी ईदूखान पुत्र कन्नू खान निवासी – प्लाट नं. 64 श्री कल्याण विहार केनाल रोड बोरखेडा कोटा मोबाईल न. 9413394940 द्वारा यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत इस बाबत् प्रस्तुत की है कि अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत दिनांक 9.2.26 को लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी कोटा के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से चाही गई सूचना प्राप्त नही हुई है। अतः चाही गई सूचना निःशुल्क उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

2– अपीलार्थी की अपील पर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी कोटा जिला कोटा से टिप्पणी/जवाब हेतु उन्हें पत्रांकः रीडर/एडीएम/2026/256 दिनांक 09.02.2026 से लिखा गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्डं अधिकारी कोटा द्वारा अपने पत्रांक /आरटीआई/2026/843 दिनाक 18.2.2026 से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी को भी न्यायालय द्वारा प्रस्तुत इस अपील में सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिऐ सूचना पत्र कमांक 255 दिनांक 9.02.2026 भिजवाया गया,। अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही हुए।

3.– पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट/टिप्पणी मे अंकित किया है कि अपीलार्थी ईदु खान पुत्र कन्नू खान द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत

अति० जिला कलक्टर
कोटा

शमीम बानो के ओ0बी0सी प्रमाण पत्र से संबधित दस्तावेज चाहे गये है। शमीम बानो द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरी किसी भी प्रकमार की निजी सूचना किसी अन्य व्यक्ति को नही दी जाए। चाही गई सूचना शमीम बानो की व्यक्तिगत सूचना होने के कारण इनकी स्वीकृति प्राप्त होने पर ही सूचना प्रदान की जा सकती है।

पत्रावली का अवलोकन किया अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में चाही गई सूचना व्यक्तिगत सूचना से संबधित है जो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11 से प्रभावित होने एवं सूचना सें प्रभावित व्यक्ति द्वारा उपस्थित होकर सूचना न दिये जाने के संबध में लिखित में आपत्ति प्रस्तुत करने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार लाडपुरा को भिजवाई जावे।

(विरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
एंव प्रथम अपीलीय
अधिकारी कोटा,जिला
कोटा

अति० जिला कलक्टर
कोटा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट